मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई, 2005 (श्रावण 4, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा केन्द्रीय मंत्री, श्री सुनील दत्त के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किये गये।

श्री बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री, श्रीमती जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष, सदस्यगण श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, श्री लाखन सिंह बघेल तथा श्री हमीद काजी ने भी शोकोद्‌गार व्यक्त किये।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के लिए संवेदना प्रकट की गई।

दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10.43 बजे 5 मिनिट के लिए स्थगित होकर 10.47 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 63 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 68 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. स्थगन प्रस्ताव

देवास जिले के तीर्थ स्थल धाराजी में इंदिरा सागर बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की पहली सूचना डॉ. गोविन्द सिंह, दूसरी सूचना श्री राजनारायण सिंह, तीसरी सूचना डॉ. सुनीलम्, चौथी सूचना श्री रामलखन शर्मा तथा पांचवी सूचना श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की प्राप्त हुई। इनमें से डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सूचना पहले प्राप्त हुई, जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया।

श्री जगदीश देवड़ा, राज्यमंत्री, गृह ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

निम्नलिखित सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(3) डॉ. सुनीलम्

(4) श्री रामलखन शर्मा

(5) श्री सज्जन सिंह वर्मा

(6) श्री सत्यदेव कटारे

(7) श्रीमती जमुनादेवी, नेताप्रतिपक्ष

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्यों के विचार तथा शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

(श्रीमती जमुना देवी,नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांगेस के सदस्यों द्वारा देवास जिले के तीर्थ स्थल धाराजी में इंदिरा सागर बांध से अचानक पानी छोड़े जाने से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर शासन द्वारा न्यायिक जांच न कराये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

4. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) आरिफ अकील, सदस्य ने राजधानी भोपाल मे खुले आम ब्राउन शुगर(सफेद पाउडर) का धडल्ले से कारोबार होने,

(2) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले के इटारसी के औद्योगिक क्षेत्र के खेड़ा में निर्मित नालियों को जोड़े जाने,

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

(3) श्री प्रदीप अमृतलाल, सदस्य ने बालाघाट जिले की विभिन्न तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने तथा वसूली स्थगित करने के बजाय जबरिया ऋण वसूली की जाने,

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के बानमौर औद्योगिक क्षेत्र की दुर्गा फैक्ट्री में बिजली के करेंट लगने से एक व्यक्ति की मौत होने,

(5) श्री दरबूसिंह उईके,सदस्य ने भोपाल जिले की हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम बर्राई पो. बगरोदा में आदिवासियों की जमीनों को भूमि विकास बैंक द्वारा फर्जी ऋण तैयार कर अवैध रूप से राजस्व वसूलने,

(6) पं. रमेश दुबे,सदस्य ने छिन्दवाड़ा जिले के नगर पंचायत चौरई में विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन भुगतान समय पर न दिये जाने,

(7) श्री रामदास उइके, सदस्य ने जुन्नारदेव विकासखण्ड में नेत्र यूनिट एवं दंत यूनिट की इकाईयां बंद होने से जनता परेशान होने,

(8) डॉ. सुनीलम्, सदस्य ने बैतूल जिले के अठनेर क्षेत्र के किसानों की फसलों में कीड़े लगने से मुआवजा न दिये जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

5. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार -

(1) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक 1 सन् 2005) ;तथा

(2) मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005). को पटल पर रखा।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री पारसमल जैन, राज्यमंत्री ऊर्जा ने

(i) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, तथा

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं

(क) अधिसूचना क्रमांक 751-म.प्र.वि.नि.आ.-05, दिनांक 28 मार्च, 2005

(ख) अधिसूचना क्रमांक 1077/म.प्र.वि.नि.आ./2005, दिनांक 5 मई, 2005; एवं

(ग) अधिसूचना क्रमांक 1431/म.प्र.वि.नि.आ./2005, दिनांक 16 जून, 2005

(2) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2003-2004,

(3) श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2001-2002,

पटल पर रखे।

7. फरवरी-मार्च, 2005 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

उपाध्यक्ष महोदय ने फरवरी मार्च 2005 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

8. नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2005 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

उपाध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन फरवरी-मार्च, 2005 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

9. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विगत सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों को राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है :-

(1) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबन्धन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 22 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2005)
(2) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 5 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2005)
(3) मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2005)
(4) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2005 (क्रमांक 3 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2005)
(5) मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास विधेयक, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2005)
(6) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 1 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2005)
(7) मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2005)
(8) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) (अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2005)
(9) मध्यप्रदेश राजमार्ग विधेयक, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) (अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2005)

10. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 25 जुलाई, 2005 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	शासकीय विधेयक	निर्धारित समय
1.	मध्यप्रदेश लोकवानिकी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 8 सन् 2005)	30 मि.
2.	मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 9 सन् 2005)	30 मि.
3.	मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 10 सन् 2005)	30 मि.
4.	मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक,2005 (क्रमांक 11 सन् 2005)	1 घन्टा
5.	मध्यप्रदेश मोटरयान काराधान (संशोधन) विधेयक, 2005	30 मि.
6.	राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन विधेयक	1 घन्टा
7.	वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 के दौरान हुए आधिक्यों के नियमितीकरण की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	____
8.	वर्ष 2005-2006 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घन्टे
9.	प्रदेश के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, सत्यदेव कटारे, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा तथा श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा.	1 घन्टा 30 मि.
10.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा	2 घन्टे
11.	आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 पर चर्चा	2 घन्टे

डॉ. नरोत्तम मिश्रा,राज्य मंत्री विधि और विधायी कार्य एवं संसदीय कार्य ने प्रस्ताव दिया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. ध्यानाकर्षण

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य ने खंडवा जिले के बुरहानपुर वन मंडल में सागोन के वृक्षों की कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(12.57 बजे से 2.33 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(2) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर जिले के घाटीगांव विकास खण्ड की जनपद को सूखाग्रस्त की सूची से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

12. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभापति तालिका के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया गया:-

(1) श्रीमती सुधा जैन
(2) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद)
(3) श्री ज्ञान सिंह
(4) श्री इन्द्रजीत कुमार
(5) डॉ. गोविन्द सिंह तथा
(6) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भैया साहब)

13. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री, संसदीय कार्य ने नियम समिति का द्वितीय प्रतिवेदन पटल पर रखा।

14. आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन किया।

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक वानिकी (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 8 सन् 2005), तथा

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य ने मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2005 (क्रमांक 9 सन् 2005),

सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किये।

16. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

सर्वश्री गजराज सिंह सिकरवार, सत्यदेव कटारे, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री रामलखन शर्मा, सर्वश्री इन्द्रजीत कुमार, राजेश पटेल, रविन्द्र सुका महाजन, सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे तथा श्री बुन्देला विजय बहादुर सिंह, सदस्य ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अति वृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री गजराज सिंह सिकरवार

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

(2) श्री सत्यदेव कटारे

(3) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

(4) श्री रामलखन शर्मा

(5) श्री इन्द्रजीत कुमार

(6) श्री रविन्द्र सुका महाजन

(7) श्री सज्जन सिंह वर्मा

(8) श्री विजय बहादुर सिंह बुन्देला

(9) श्री जितेन्द्र

(10) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(11) श्री विक्रम सिंह उर्फ नातीराजा

(12) श्री दुर्गालाल विजय

(चर्चा अपूर्ण)

05.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 27 जुलाई, 2005 (श्रावण 5, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.